# न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर

## पीठासीन अधिकारी : : विकास ऐचरा, RJS (DJ Cadre)

**पवन कुमार शर्मा बनाम हर आम व खास आदि**

**दीवानी विविध प्रकरण संख्याः–05/2025**

**सी.एन.आर. नम्बर – RJSK160003222025**

1. पवन कुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा उम्र 57 वर्ष, निवासी–पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड नंबर 26 फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर, राजस्थान।

–आवेदक–

**बनाम**

1. हर आम व खास
2. सरोज शर्मा पुत्री बाबुलाल शर्मा पत्नी संजय शर्मा उम्र 51 वर्ष, निवासी–एफ 1/4 फ्रेडस रेजीडेंस, नया सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़।

–अनावेदकगण–

**आवेदन अन्तर्गत धारा 370 व 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र**

**उपस्थितिः–**
श्री गिरधारीलाल निर्मल विद्वान् अधिवक्ता, आवेदक की ओर से।
श्री मुबारिक हुसैन विद्वान अधिवक्ता अनावेदक संख्या 2 की ओर से।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

**–::निर्णय::–** **दिनांक 27.04.2026**

**1.** प्रार्थी/आवेदक की ओर से आवेदन पत्र वास्ते प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 370 एवं 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अप्रार्थीगण/अनावेदकगण हर आम व खास व अन्य के विरूद्ध दिनांक 13.08.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

**2.** प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी फतेहपुर शेखावाटी का मूल निवासी है तथा प्रार्थी के पूर्वजों का कुर्सीनामा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 10.01.2020 को एवं प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 13.11.2020 हो चुकी है। प्रार्थी के पिता की चल, अचल संपत्ति कस्बा फतेहपुर में स्थित है

तथा उनका एस.बी.आई. शाखा फतेहपुर पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के बैंक लॉकर संख्या 236 में स्थित है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने स्वामित्व की संपत्तियों बाबत किसी प्रकार की वसीयत या इच्छापत्र आदि निष्पादित नहीं किया था एवं ना ही आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कोई इच्छा पत्र होना जाहिर किया है। प्रार्थी के पिता के खाते व लॉकर में उनकी माता नोमिनी थी जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त लॉकर के संचालन के संबंध में बैंक अधिकारियों को कहने पर उनके द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत कहा गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व. बाबुलाल बबेरवाल की संपत्ति के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं जिनमें से अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के पक्ष में लॉकर संचालन करने के संबंध में लिखित में दे दिया है। अतः प्रार्थी को मृतक् बाबुलाल बबेरवाल के एस.बी.आई बैंक के लॉकर नंबर 236 का उत्तराधिकारी होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

3. उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विचारण के दौरान जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गयी किन्तु जवाब आवेदन अथवा साक्ष्य पेश नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में सूचना जारी करवायी गयी किन्तु हर आम व खास की तरफ से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना–पत्र का विरोध करने के लिये उपस्थित नहीं आया।

4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर इस प्रकरण में विवाद्यक विरचित किया जाना उचित नहीं पाया गया ।

5. दौराने साक्ष्य आवेदक पवन कुमार शर्मा को एडब्लू 1 रूप में परीक्षित किया गया जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए इन तथ्यों को पुष्ट किया है कि बाबुलाल बबेरवाल की मृत्यु हो चुकी है जिसका वह प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है एवं अपने समर्थन में साक्ष्य के दौरान प्रदर्श–1 बाबुलाल बबेरवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–2 मैना देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–3 संबंधित लॉकर के संबंध में सरोज शर्मा का हक छोड़ने का पत्र व प्रदर्श –4 असल आधार कार्ड सरोज शर्मा पेश किये हैं।

6. विचारण के दौरान संपत्ति के मूल्य के संबंध में न्यायालय द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

**7.** बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हस्तगत मामले का विनिश्चय करते समय इस न्यायालय को देखना है कि क्या आवेदक प्रश्नगत बैंक के लॉकर संख्या 236 के संबंध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं **?**

8. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आवेदक ने ए.डब्ल्यू 1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 10.01.2020 को एवं प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 13.11.2020 हो चुकी है। आवेदक के पिता की चल, अचल संपत्ति कस्बा फतेहपुर में स्थित है तथा उनका एस.बी.आई. शाखा फतेहपुर पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के बैंक में लॉकर संख्या 236 स्थित है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने स्वामित्व की संपत्तियों बाबत किसी प्रकार की वसीयत या इच्छापत्र आदि निष्पादित नहीं किया था एवं ना ही आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कोई इच्छा पत्र होना जाहिर किया है। प्रार्थी के पिता के खाते व लॉकर में उनकी माता नोमिनी थी जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त लॉकर के संचालन के संबंध में बैंक अधिकारियों को कहने पर उनके द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने बाबत कहा गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या2 अपने पिता स्व. बाबुलाल बबेरवाल की संपत्ति के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं जिनमें से अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के पक्ष में लॉकर संचालन करने के संबंध में लिखित में दे दिया है एवं अपने समर्थन में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये हैं।

उपर्युक्त साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है बल्कि बहस के स्तर पर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने के बाद आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

इस प्रकार से आवेदक ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में अभिवचन किया है कि उसके पिता बाबुलाल शर्मा का एस.बी.आई. शाखा फतेहपुर पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के बैंक में लॉकर संख्या 236 स्थित है एवं उसकी नॉमिनी जो आवेदक की माता है की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे आवेदक उपर्युक्त लॉकर का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 सरोज शर्मा द्वारा भी उपर्युक्त लॉकर के संबंध में हक छोड़ने का पत्र लिखित में दिया गया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श–3 से होती है तथा बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है एवं अनावेदक हर खास आम की ओर से

बावजूद नोटिस अखबार में साया करने के कोई उपस्थित नहीं हुआ है तथा ना ही किसी प्रकार की आपत्ति पेश की गयी है। अतः उपर्युक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है ।

**–ः: आदेश:ः–**

9. परिणामतः प्रार्थी पवन कुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा उम्र 57 वर्ष, निवासी–पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड नंबर 26 फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–370 एवं 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एतदद्वारा स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मृतक् बाबुलाल शर्मा के एस.बी.आई शाखा फतेहपुर के प्रश्नगत लॉकर संख्या 236 के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उसके द्वारा नियमानुसार उपर्युक्त लॉकर पर देय स्टाम्प पेश किये जाने पर जारी किया जावे।

**(विकास ऐचरा )**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,**
**फतेहपुर जिला सीकर।**

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

**(विकास ऐचरा )**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,**
**फतेहपुर जिला सीकर।**